



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme,

केन्द्रीय सदन परिसर खण्ड बी, भूतल सैक्टर 10, विद्याधर नगर जयपुर - 302039

Kendriya Sadan Parisar, Block-B, Ground Floor, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur.

www.cghsjaipur.nic.in 0141-2235110/117/119 0141-2235156 ad.jp@cghs.nic.in

No.CGHS/JPR/25-2/2017(Admn.)/ 3001-09

Dated: 23.04.2018

कार्यालय जापन

इस कार्यालय के जापन दिनांकित 16.3.2018 के अनुक्रम में सभी चिकित्सा अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि Unlisted Test / Investigation / Procedure / Implant के मामले में सीजीएचएस लाभार्थी को इस कार्यालय में अनुमति हेतु भेजने से पूर्व सीजीएचएस जयपुर की रेट लिस्ट के द्वारा यह सुनिश्चित करें कि उक्त जांच रेट लिस्ट में नहीं है। तत्पश्चात उन जाँचों को कम्प्यूटर में इंद्राज कर उसकी पर्ची का प्रिंट आउट लेवें तथा मरीज से उस जांच की दर (Rate) लेकर उसको इस कार्यालय में अनुमति हेतु प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अद्येपित कर भिजवाएं। मरीज / लाभार्थी जांच की दर उस अस्पताल / नैदानिक केंद्र से लाये जहां वह यह जांच करवाएगा।

(डॉ.जसवंत कुमार खत्री)

अपर निदेशक,

के.स.स्वा.योजना,

जयपुर।

सेवामें,

- 1- प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्पूर्ण स्वास्थ्य केंद्र संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व पॉलीक्लीनिक, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि जापन की विषयवस्तु को सभी चिकित्सा अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए एवं इसकी पालना को सुनिश्चित किया जाए।
- 2- लेखा अनुभाग, सीजीएचएस, जयपुर।



भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme,
केन्द्रीय सदन परिसर खण्ड बी, भूतल ग्रेड 10, विद्याधर नगर जयपुर - 302039

Kendriya Sadan Parisar, Block-B, Ground Floor, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur.

www.cghsjaipur.nic.in 0141-2235110/117/119 0141-2235156 ad.jp@cghs.nic.in

No.CGHS/JPR/25-2/2018(Admn.)/ 9378-85

Dated: 16.07.2018

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह देखने में आया है कि प्रायः चिकित्सा अधिकारी सीजीएचएस जयपुर की Test / Investigations / Procedures की रेटलिस्ट को ध्यान से देखे बिना ही लाभार्थियों को लिखी गयी जांच को अनलिस्टेड बताकर अपर निदेशक कार्यालय से अनुमति लेने हेतु भेज देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें अनावश्यक रूप से अपर निदेशक कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त लापरवाही को अत्यधिक गंभीरता से लिया है।

अतः सभी चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि लाभार्थियों को लिखे गए किसी भी टेस्ट / इन्वेस्टिगेशन को रेट लिस्ट में गहनता पूर्वक देखें एवं यह सुनिश्चित करने के बाद कि टेस्ट रेट लिस्ट में नहीं है, उसके पश्चात ही लाभार्थी को उस टेस्ट की अनुमति लेने हेतु अपर निदेशक कार्यालय में भेजा जाना चाहिए।

इस ज्ञापन की पावती सभी चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त कर भावी संदर्भ हेतु इस कार्यालय में भिजवाएं।

(डॉ.जसवंत कुमार खत्री)

अपर निदेशक,

के.स.स्वा.योजना, जयपुर।

प्रतिलिपि: प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, साजीएचएस सं.स्वा.के.सं.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एवं पॉलीक्लीनिक, जयपुर को इस आशय के साथ कि वे भी आश्वस्त होने के पश्चात ही अनलिस्टेड टेस्ट की अनुमति हेतु लाभार्थी के आवेदन को अग्रेषित करें।

MF